प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर एक्ट मु.सं. 35/2017 उनवान भागीरथमल बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.03.2021	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी से बहस सुनी गई। प्रार्थी के आवेदन में प्रार्थी ने कृषि भूमि खसरा सं. 124 वाके ग्राम गोठड़ा भूकरान तहसील धोद की पश्चिमी सीमा में ट्रेस नक्शा में पुराने ट्रेस नक्शा के अनुसार 1 से.मी. लंबाई दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार, धोद से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " ग्राम गोठड़ा भूकरान के खसरा नम्बर 124 का सेटलमेट से पूर्व पुराना खसरा नम्बर 51/1 रकबा 4 बीघा एक बिस्वा दर्ज रेकार्ड था। नक्शा लठ्ठा तथा सर्वेशीट में खसरा नम्बर 124 की पश्चिमी सीमा की लम्बाई 1 सेमी से ज्यादा है। मौके पर उक्त खसरे की पश्चिमी सीमा की लम्बाई नक्शा–लठ्ठा व सर्वेशीट से कम नहीं है। खसरे की पश्चिमी सीमा प्रार्थी के आवेदन के अनुसार भू–प्रबंध से पहले 1 सेमी बताई गई है, जो भू–प्रबंध के दौरान 3/4 सेमी कर दी गई है। परन्तु वर्तमान नक्शा लट्ठा में भी 1 सेमी ज्यादा है। खसरे का कुल रकबा भी सेटलमेंट के बाद कम नहीं हुआ है। अतः आवेदन पत्र अ.धा. एल आर एक्ट मु.सं. 35/2017 निरस्त योग्य है।" बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर Signature Not Verified Digitally signed by Mithlesh Kumar Date: 2021.03.30 11:28:26 IST Reason: SelfAttested	